# प्रेस नोट

## नववर्ष के अवसर पर दीव में पर्यटकों के लिए सुविधाओं का इंतजाम

नया साल मनाने के लिए दीव में पर्यटकों की बेशुमार भीड़ रहती है । 31 दिसम्बर, 2013 एवं 01 जनवरी, 2014 के दिन पर्यटकों, यहां के निवासियों एवं उनके वाहनों के आवागमन में कोई असुविधा न हो, इसे ध्यान में रखकर इस प्रकार निदेश जारी किये गए हैं :-

पर्यटकों की सहायता के लिए दीव में जगह-जगह पर ''सहायता बूथ'' स्थापित किये गए हैं ।

किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के घटित होने पर पर्यटक इन टेलिफोन नंबरों पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं :

| | | |
|---|---|---|
| पुलिस कंट्रोल रूम | : | 252123, 252133, 100 |
| सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घोघला | : | 253280, 108 |
| सरकारी अस्पताल, दीव | : | 252480, 108 |
| अग्निशमन केन्द्र, दीव. | : | 253039, 101 |

सामुदायिक स्वाथ्य केन्द्र, घोघला के चिकित्सा अधिकारी दीव जिला के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं चिकित्सा केन्द्रों को 24 घंटे खुला रखेंगे एवं किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस को तैयार रखेंगे ।

पुलिस विभाग द्वारा कानून-व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा । ट्राफिक व्यवस्था बनाए रखने एवं पुलिसबल के सहयोग हेतु एन.सी.सी. कैडेट्स को तैनात किया जाएगा । पुलिस विभाग द्वारा पर्यटकों, यहां के निवासियों एवं उनके वाहनों के आवागमन में कोई असुविधा न हो, इसे ध्यान में रखकर निम्नानुसार ट्राफिक प्लान तैयार किया गया है :-

### *ट्राफिक प्लान*

बाहर से आनेवाले पर्यटक वाहनों के लिए पद्मभूषण क्रिकेट ग्राउण्ड में पार्किंग की व्यवस्था की गई है । शहर से बाहर निकलने के लिए चंद्रिका माता गेट(जलंघर बीच के निकट), झांपा गेट (आराधना थियेटर के निकट) एवं झांपा गेट (पुनम गेस्ट हाउस के निकट) का उपयोग किया जाएगा ।

आगजनी की घटना पर काबू पाने के लिए दमकल गाड़ियों एवं कर्मियों को तैनात रखा जाएगा ।

दीव के सभी बीचों पर पीने के पानी एवं प्रसाधन की नि:शुल्क व्यवस्था की गई है । बीचों पर प्रसाधन एवं चेंजिंग रूमों को साफ-सुथरा किया गया है ।

सभी होटलों एवं गेस्ट हाऊसों के मालिकों को सूचित किया गया है कि वे पर्यटकों से अनिवार्य रूप से पहचान पत्र प्राप्त करेंगे तथा होटलों/गेस्ट हाऊसों में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगवा लेंगे । पर्यटकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने साथ अपना पहचान पत्र जरूर लाएं । 31 दिसम्बर, 2013 एवं 01/01/2014 को सभी होटल, बार एवं रेस्तरॉ मालिकों को सख्ती से एहतियात बरतने के लिए यह सूचित किया गया है कि सार्वजनिक जगहों, जैसे – आई.एन.एस. खुकरी, बीचों एवं गार्डनों में जिलाधीश, दीव की अनुमति के बिना नृत्य-संगीत का आयोजन तथा गैर-कानूरी तरीके से शराब की बिक्री नहीं की जाएगी । उप-प्रभागीय पुलिस अधिकारी, आबकारी निरीक्षक एवं पर्यटन विभाग द्वारा इसपर पैनी नजर रखी जाएगी ।

दमण एवं दीव के आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सूचना के अनुसार 31 दिसम्बर 2013 की रात 11.00 बजे से 01 जनवरी, 2014 के सुबह 02.00 बजे तक होटल, रेस्तरॉ, बार आदि खुले रखने पर होटल मालिकों को रू. 5,000/- एवं बार व रेस्तरॉ मालिकों को रू. 3,000/- का अतिरिक्त शुल्क भरना होगा ।

31 दिसम्बर, 2013 को रात 10.00 बजे के बाद लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा । इसका अनुपालन नहीं करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी । पर्यटकों से भी यह अनुरोध किया गया है कि वे सार्वजनिक स्थलों पर नाच-गाना व मद्यपान आदि न करें ।

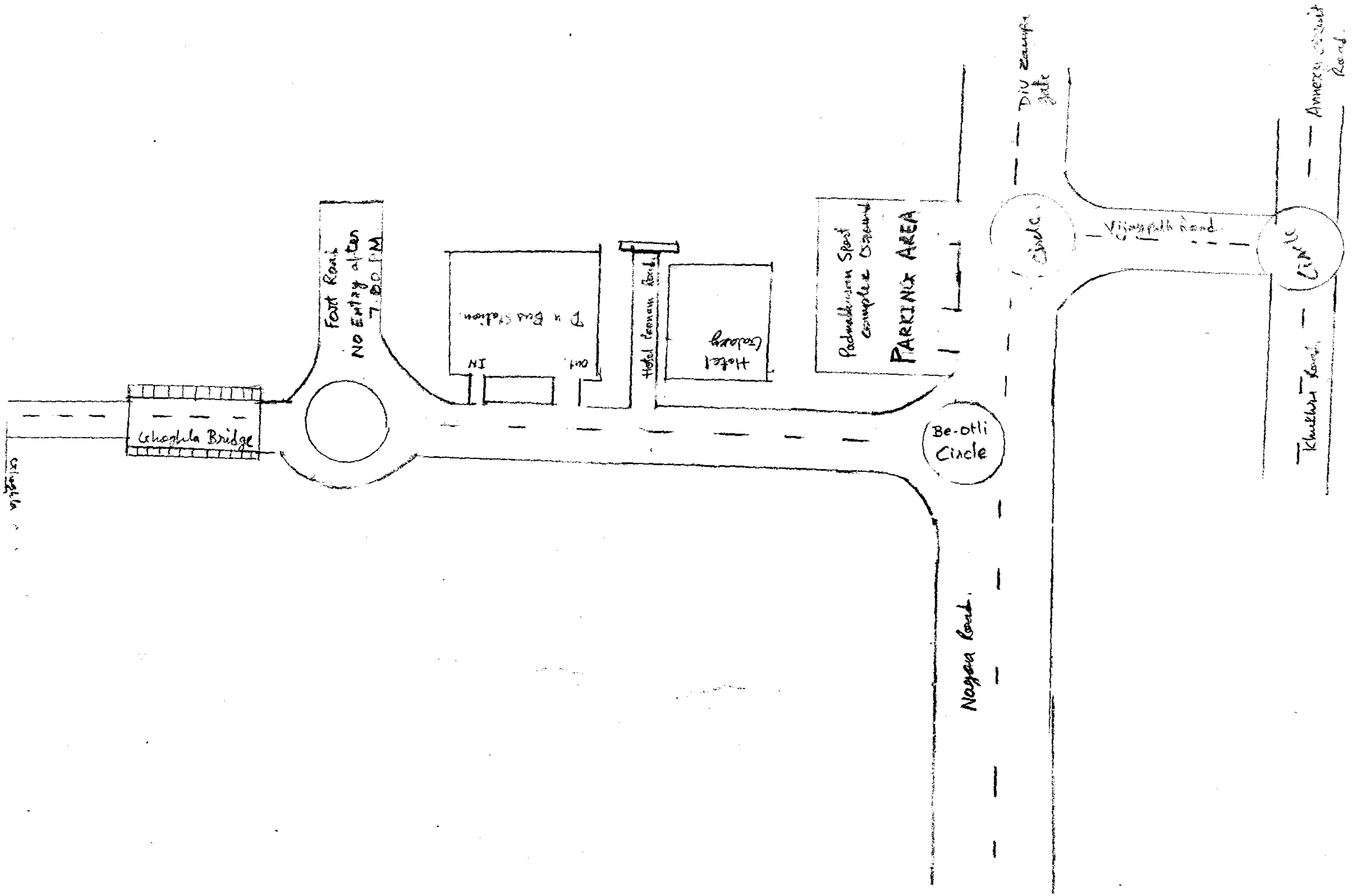

Ghoghla Bridge
Ghoghla
Fort Road
NO Entry after 7.00 PM
IN
Out
Hotel Galaxy
PARKING AREA
Circle
Be-otli Circle
Vijaypath Road
Circle
Nagoa Road